



डॉ अजय कुमार यादव

विकास का लैंगिक परिप्रेक्ष्य

एसो० प्रोफेसर- बी०ए० चरण सिंह पी०जी० कालेज, हैदराबाद, (उ०प्र०), भारत

Received- 07.12. 2021, Revised- 12.12. 2021, Accepted - 16.12.2021 E-mail: drajay2860@gmail.com

सामाजिक: जब हम महिला-पुरुष लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह दो लिंगों की शारीरिकी भिन्नता को दर्शाता है, लेकिन जब जेंडर का प्रयोग होता है तो यह अर्थ पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संरचना की विभिन्नता के अतिरिक्त प्रयोग और उनकी स्थिति (शक्ति) से होता है। जब हम नारीत्व का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ नारी के गुण, पालन पोषण, देख-भाल, सरलता, क्रूरता और आक्रमणशील न होना से होता है। जब कोई महिला नारी के गुणों के अनुसार सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह पुत्री, बहन और मां की अपनी भूमिकाओं की अपेक्षाओं से अलग है। संस्थागत रूप से भारतीय संर्दर्भ में पुरुष प्रधान समाज के रूप में पाते हैं। यदि हम महिलाओं और पुरुषों के बीच उनकी प्रकृति और सामाजिक भूमिका की ओर अपने को केन्द्रित करते हैं तो यह जेंडर का अर्थ आता है।

कुंजीभूत शब्द-जेंडर, वैशिक, सशक्तिकरण, पुनरुत्पादन, प्रकृतिवादी, मार्गदर्शी, स्वैच्छिक, समन्वय, प्रत्यारोपण।

महिला, लिंग और विकास:- 'महिला दशक' 1976-1985 के मध्य नारीवाद और महिला के सम्बन्ध में जो विमर्श आया, वह समानता, विकास और शान्ति के लक्ष्य को धारक हेतु आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में दृष्टिगत हुआ। महिला और विकास के लिए एक बैठक बैंकाक में हुई। इसी बैठक में नारीवाद का प्रथम वैशिक अर्थ देने का प्रयास किया गया। इस बैठक में महिलाओं के घर और घर से बाहर अपने जीवन ढंग को संस्थापित करने हेतु शक्ति समानता एवं अस्मिता तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति का लक्ष्य निरूपित हुआ। साथ ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न्यायोचित, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को संगठित कर प्रत्येक प्रकार की विषमता, दमन को दूर करने का विकास के नारीवाद विचार को बलशाली रूप प्रदान करने के लिए सशक्तिकरण पर जोर दिया जाना था।

सेनेगल में, महिला विकास पर डकर घोषणा का आयोजन 1982 में हुआ। इस घोषणा में संरचनात्मक रूपान्तरण की एक ऐसी अवधारणा लायी गयी कि जो प्रत्येक स्तर पर यथा अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और परिवारिक स्तर पर अधिकार के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरूपों को नजरअंदाज करती हो। नैरोवी में एक विश्व महिला सम्मेलन (1985) में हुआ। इसमें संरचनात्मक एकता की आवश्यकता पर बल देने हेतु आनंदोलन एवं सांस्कृतिक विविधाओं पर जोर दिया गया।

सामाजिक संगठन में जब भी संसाधनों की न्यूनता की बात आती है तो इसमें सबसे अधिक नारी ही प्रभावित एवं वंचित होती है। वैशिक स्तर पर जो भी संसाधन हैं उसमें नारी की भूमिका एवं भागीदार अति न्यून रही है, जिससे सर्वाधिक हानि इन्हीं को उठाना पड़ा है। जेंडर सम्बन्धों की विषमता और पुरुषों के सदैव अधीनस्थ पायी जाने वाली नारी का अवधारणात्मक रूप से बताता है कि इनका योगदान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा आर्थिक संरूप समान नहीं रहे हैं। विकास प्रक्रिया में नारी हमेशा से भागीदार रही है। लेकिन श्रम (मुक्त श्रम) की प्रतिकर की कोई सुनियोजन की मांग नहीं की गयी। सामाजिक वास्तविकता यह है कि महिला घरेलू श्रम, पुरुषकार्य बल तथा समाज को सामाजिक रूप संगठित रखने में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही महिलाओं की भूमिका उत्पादन कार्य में उल्लेखनीय रही है जो परिवार एवं समुदाय की आम और संसाधनों के बृद्धि में साकारात्मक योग देते हैं। सामाजिक संरचनात्मक कार्य में नारी की भूमिका उत्पादन के अतिरिक्त पुनरुत्पादन कार्य में प्रकृतिवादी है। परिवार एवं समुदाय पोषण से सम्बन्धित गतिविधियाँ पुनरुत्पादन कार्य कही जाती हैं। इसमें ईधन, पानी, भोजन तैयार करना, बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह कार्य सम्मिलित हैं। इसका कोई पुरस्कार नहीं होता, इसलिए गैर आर्थिक कार्य माना गया है।

भारत में महिलाएं- भारत में समानता के संवैधानिक अधिकारों की बात की गयी है और कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें किसी से किसी एक के आधार रंग भेद भाव नहीं करेगा। यहीं यह भी कहा गया है कि इस अनुच्छेद का कोई भी भाग राज्य को महिलाओं और बच्चों के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण प्रावधान बनाने से मना नहीं करेगा। भारत के संविधान में महिलाओं को नागरिक के रूप में समान स्थिति प्रदान है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने लाने के लिए प्रयास की अपेक्षा के साथ समान नागरिक के रूप में सामाजिक व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता तो प्रदान हो भी गयी है, के अतिरिक्त मौलिक समानता को व्यक्तिगत, आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक, शैक्षिक सांस्कृतिक समानता तथा अपने स्वयं के



अधिकार के कतिपय मान्यताओं, मूल्यों, मानकों और व्यक्तिगत आचारों से बचित किया गया है।

महिलाओं को आर्थिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता है लेकिन परिवार में उनके द्वारा लिए जाने वाले श्रम को अतिरिक्त मानना और कार्यक्षेत्र में पुरुषों की तुलनाओं का परिश्रमिक दिया जाना, महत्वपूर्ण भेद-भाव का सूचक है। धार्मिक स्वंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार में विषमता है इससे प्रदर्शित है कि राज्य का जेंडर के प्रति रुख पक्षपात रहा है। सामाजिक नीतियों महिलाओं के विरुद्ध विषमता को प्रकट करती है, साथ ही विकास का पक्ष, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की ओर प्रेषित करता है। ये मार्गदर्शी कारकों को जागृत करते हैं। महिलाओं की चेतना क्या हो, इस प्रकाश में नवीन परिभाषा उजागर होती है। जो सीमान्त न होकर कल्याणकारी लक्ष्यों को भेदती है।

भारत में विकास नियोजन- भारत में प्रारम्भिक विकास नियोजन ने सामाजिक कल्याण सेवाओं की भूमिका महिला समस्याओं को नियंत्रण में लेने की थी। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिला संगठनों को सरकार की भागीदारी में सहयोगी गतिविधियों को प्रारम्भ करने के उत्साहित किया। बोर्ड एवं समुदाय विकास योजना की सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य विशेषकर मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए अनिवार्य रूप से रौचिक संगठनों को संवर्धित करने का प्रयास किया गया। भारत सरकार के शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने एक समिति का समन्वय किया था जो भारत में महिलाओं की स्थिति जानने के परिवेद्य में थी। यह मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975) के लिए महिलाओं की स्थिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए थी। समिति के प्रमुख दो कार्य थे— उन संवैधानिक, कानूनी एवं प्रशासकीय प्रावधानों की जांच करना था, जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार पर अपना प्रभाव निर्धारित कर सके। साथ ही इन प्रावधानों का निर्धारण करना भी था। इस परिवृद्धि में समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अर्थव्यवस्था और समाज महिला उत्तीर्ण के विभिन्न मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। साथ ही यह भी पाया गया कि लिंग अनुपात में घटोत्तरी की जनानकीय प्रवृत्तियों महिला एवं पुरुष के बीच जीवन प्रत्याशा और मृत्युदर में भी विषमता है। महिलाओं की शिक्षा एवं रोजी-रोटी की पहुँच भी निराशाजनक दिख रही है। इस तरह से भारत सरकार लिंग समानता की अपनी दायित्व भी जिम्मेदारी पूर्ण करने में सफल नहीं रही है।

भारत में महिला विवाह सम्बन्धी नियोजन और नीति निर्धारण की समीक्षात्मक विवेचन यह बताता है कि राज्य में महिलाओं के लिए नीति—गठन और नियोजन में प्रयासों नितान्त कमी प्रकट होती है। महिलाओं की आवश्यकताओं और विकास का बड़ा भाग उहें देने में अपेक्षित अनिवार्य तरीकों के सन्दर्भ में विचार बहुत कम प्रस्तुत किए गये हैं। हमारे देश केवल कुछ ही राज्यों में महिला विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयास बहुत सीमित हैं जो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। जो भी इस सन्दर्भ में प्रयास हुआ है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया गया है।

भारत जैसे संघीय शासन में किसी भी विकास प्रक्रिया को उस समय तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि राज्य सरकारें महिलाओं की स्थिति को उच्च करने के लिए अपने दायित्व को साकारात्मक रूप न समझे। राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा आधारभूत सामाजिक संगठनों को अधिकाधिक तौर पर शामिल करना आवश्यक है। यह कार्य महिला सशक्तीकरण की प्राप्ति से हो सकता है। इसके साथ महिला-पुरुष की पूर्ण समानता की प्राप्ति हेतु देश के सभी उदारवादी विकास कार्यक्रमों में संगठन तंत्र को सहभागिता में लेना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आर्थिक शोध पत्रिका, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 2004.
2. गुलाटी, एस, “विमेन एण्ड सोसाइटी”, चाणक्य पब्लिकेशन- दिल्ली 1985.
3. श्रीवास्तव, डॉ राजीव कुमार- सम्पादक- वैश्वीकरण एवं भारत-विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी- 2010.
4. पाण्डेय, डॉ रवि प्रकाश, “वैश्वीकरण एवं समाज”, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद- 2005.
5. मिश्र, रविन्द्र कुमार, “वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिला सशक्तिकरण”, विजय प्रकाश मंदिर-वाराणसी- 2009.
